न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 379 सन 2019

अनवान :–

1. देवीलाल पुत्र चन्द्रसिह जाति राजपूत निवासी मेधाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थित :– श्री नरेन्द्र जोशी अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :– 28/7/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 182/174 की कुल 97.8970हैक भूमि का वादी खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी के नाम वाद भूमि विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसमें वादी की भूमि तो सही तोर से दर्ज कर दिये किन्तु वादी का नाम देवीसिह के स्थान पर देबुसिह दर्ज कर दिया जबकि वादी का नाम देवीसिह है देवीसिह एवं देबुसिह एक ही व्यक्ति है वादी अपने पिता का सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है

वादी के अन्य दस्तावेज जैसे मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैक पास बुक , सभी में वादी के पिता का नाम देवीसिह दर्ज है लेकिन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी का नाम देबुसिह दर्ज है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी अपना सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पानें की अधिकारी है।

अतः वाद वादी स्वीकार/डिक्री किया जाकर रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 182/174 की कुल 97.8970हैक में वादी का नाम रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 182/174 की कुल 97.8970हैक के स्थान पर देवीसिह राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने कर जमाबन्दी संशोधन करने के आदेश फरमावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी /पेरोकार राज को तलब किया गया । पेरोकार न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद के सम्बध में जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वादी का नाम दुरूस्त किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 182/174 की कुल 97.8970हैक का वादी देबुसिह खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी के नाम वाद भूमि विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसमें वादी की भूमि तो सही तोर से दर्ज कर दिये किन्तु वादी का नाम देवीसिह के स्थान पर रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 182/174 की कुल 97.8970हैक दर्ज कर दिया जबकि वादी का नाम देवीसिह है देवीसिह एवं देबुसिह एक ही व्यक्ति है वादी अपने पिता का सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है

वादी के अन्य दस्तावेज जैसे मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैक पास बुक , सभी में वादी के पिता का नाम देवीसिह दर्ज है लेकिन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी का नाम देबूसिह दर्ज है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी अपना सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पानें की अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

पेरोंकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वादी का नाम दुरूस्त किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 182/174 की कुल 97.8970हैक का खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें वादी का नाम देबुसिह दर्ज है।

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

वादी का कथन है कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय देवीसिह के स्थान पर देबुसिह दर्ज किया गया है सही नाम देवीसिह है सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

सरपंच ग्राम पंचायत मेधाना ने भी वादी के नाम के सम्बध में प्रमाण पत्र जारी कर निवेदन किया है कि वादी का सही नाम देवीसिह है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैक पास बुक , सभी में वादी का नाम देवीसिह पुत्र चन्द्रसिह दर्ज है। देवीसिह वं देबसिह दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है सही नाम देवीसिह है जिसके सम्बध में ग्राम पंचायत मेधाना के द्वारा प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है

इसप्रकार वादी के राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात में वादी के नामों में भिन्नता है तहसीलदार राजस्व नोहर के अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है अर्थात पेरोकार भूमिधारी द्वारा वादी के जवाब के सम्बध में किसी प्रकार का ऐतराज पेश नही किया गया है साथ ही यदि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नही होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत तथा पेरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नही होने के कारण वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 182/174 की कुल 97.8970हैक में भूमि वादी का नाम देबुसिह पुत्र चन्द्रसिह दर्ज है के स्थान पर देवीसिह उर्फ देबुसिह पुत्र चन्द्रसिह संशोधित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/7/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया। ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. देवीलाल पुत्र चन्द्रसिह जाति राजपूत निवासी मेधाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी
प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 379 सन 2019 निर्णय दिनांक– 28/07/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयागण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 182/174 की कुल 97.8970हैक में भूमि वादी का नाम देबुसिह पुत्र चन्द्रसिह दर्ज है के स्थान पर देवीसिह उर्फ देबुसिह पुत्र चन्द्रसिह संशोधित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/07/20 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner